न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील संख्या –2016/00206 (272/2016) 223 आरटीएक्ट

1. बुधराम
2. मदनलाल
3. प्रभूराम

} पिसरान पल्लूराम जाति ओड साकिन 21 पीवीएन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4. भूरा देवी पुत्री पल्लूराम पत्नी हरीराम जाति ओड साकिन रामपुरा ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

––अपीलांटस

बनाम

1. रामजस } पिसरान पल्लूराम
2. शेराराम
3. मेमनराम
4. पल्लूराम पुत्र बेगाराम

} जाति ओड साकिन अमरपुरा ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा दिनांक 20.07.2016 प्रकरण सं0 175/16 अनवान रामजस आदि बनाम पल्लूराम

उपस्थित :–

श्री मदनलाल पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांकः– 20.03.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 / वादीगण में न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा में दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काश्तकारी अधिनियम का पेश किया कि वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं. 1 पल्लूराम के पिता बेगाराम जिनका देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज चक 19 पीबीएन–बी के प.नं. 8/330 किला नं. 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 की 4.554 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में 2.277 है0 हिरसा दर्ज है। यह भूमि प्रतिवादी को उनके पिता बेगाराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। इसलिये पैतृक सम्पति है। इस भूमि में वादीगण एवं वादीगण के भाई बुधराम, मदनलाल, प्रभूराम का जन्म से हक निहित है। इस भूमि में वादीगण का 3/6 हि बनता है। इसलिये वादीगण घोषणा पाने के हकदार है। वादीगण द्वारा दिनांक 18.07.2014 को दावा पेश किया गया और दिनांक 20.07,2016 को वादीगण व प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश किया गया। इसी दिन वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया गया। अधीनस्थन्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2016 अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 रजिस्टर्ड सम्मन की रसीदें पत्रावली में पेश हैं साथ ही उनके अधीवक्ता श्री मनोज अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा 14.12.2016 को प्रस्तुत शुदा पत्रावली में शामिल है। उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये लिहाजा अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2016 जो कतई गलत, विधि विरुद्ध एवं एक तरफा होने के कारण काबिल खारिज के है। दावा में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है इस भूमि में पल्लूराम के सभी पुत्रों व पुत्रीयों का ब.हि.ब. का हक जन्म से ही निहित है। पल्लूराम के 6 पुत्र व 2 पुत्रीयां है। रेस्पीडेन्ट सं0 1 ता 3 ने हम अपीलान्ट जो इस दावा में आवश्यक पक्षकार थे को बगैर पक्षकार बनाये दावा डिक्री करवाया है एवं अपने हिस्सा से अधिक भूमि का दावा पेश कर निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जो काबिल खारिज के है। कि प्रशनगत भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 4 व उनके 6 पुत्र व 2 पुत्रीयों सभी का व.हि.ब. का हक है। इसलिए इस भूमि में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा है। वादीगण/ रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 का इस भूमि में 3/9 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य व सबूत पेश करवाये एवं बिना सदस्य प्रमाण पत्र पेश करवाये आनन फानन में 2 दिनों के अन्दर ही निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे हम अपीलान्ट के हको पर विपरीत पड़ता है। इसलिये अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय व डिक्री काविल खारिज के है। प्रशनगत भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम दर्ज हिस्सा बैंक एसबीबीजे शाखा पीलीबंगा के रहन है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में भी यह भूमि रहन अकिंत है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में बैंक एवं भू धारक को बगैर पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिज के है। कि बाकी उजरात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे। यह कि वादीगण द्वारा हम अपीलान्ट को वगैर पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। इस निर्णय व डिक्री की हम अपीलान्ट को कोई सूचना व जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 ने दिनांक 04.10.2016 को हमें धमकी दी कि हमारा हिस्सा हमनें अपने नाम करवा लिया है शेष हिस्सा पिता पल्लूराम अन्य व्यक्तियों को बेच रहे है और तुम्हे कब्जा से बेदखल कर देगें। अपीलान्ट उसी दिन तहसील पीलीबंगा में आकर पता किया तो पता चला कि रामजस वगैरा में 2 दिनो के अन्दर ही अकेलों ने मिलीभगत कर दावा डिक्री करवाया लिया है और यह पत्रावली जिला अभिलेखाकार हनुमानगढ़ में जमा हो चुकी है। अपीलान्ट दूसरे दिन हनुमानगढ जाकर अपने वकील से सम्पर्क किया और उसी दिन इस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतू प्रार्थना पत्र पेश करने पर इस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई। यह प्रतिलिपि प्राप्त होने से अपीलान्ट को इस निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। अपील अपीलान्टगण पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पल्लूराम के नाम से दर्ज है। पल्लूराम के नाम दर्ज भूमि को राजीनामा के माध्यम से रेस्पोडेण्ट्स ने अधिकारों की घोषणा करवा ली है। अपीलाण्ट पल्लूराम के वारिसान हैं इसलिए वह आवश्यक पक्षकार हैं। उन्हें दावा में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए वह प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उनको ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 का वाद रेस्पोडेण्ट सं0 4 पल्लूराम के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत धोषणा का था। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.07.2016 को पेश किया गया था तथा दिनांक 20.07.2016 को आपसी राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी 19 पीबीएन बी के प. नं. 8/330 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 की कुल 4.554 है. नहरी मय खाला खातेदारी में 2.277 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेण्ट सं0 4 पल्लूराम के नाम दर्ज 2.277 है. नहरी मय खाला भूमि मे वादीगण ने आपसी सहमति से 3/6 हिस्सा बहिब पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाया है। अपीलाण्ट का अपील में यह तर्क है कि वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है इस भूमि में पल्लूराम के सभी पुत्रों व पुत्रीयों का ब.हि.ब का हक जन्म से निहित है। पल्लूराम के 6 पुत्र व 2 पुत्रियॉ हैं। प्रश्नगत भूमि को अपीलाण्ट ने पैतृक कृषि भूमि होना बताया है जिसमें रेस्पो0 सं0 4 व उनके 6 पुत्रों व 2 पुत्रियॉ सभी का ब.हिब. का है इसलिए इस भूमि में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा होना बताया है। रेस्पो0 सं0 1 ता 3 का इस भूमि में 3/9 हिस्सा का कथन किया है। **प्रश्नगत भूमि पैतृक होने अथवा नहीं होने एवं उसमें किस पक्षकार का कितना हिस्सा है इसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय किया जाना उचित हो। चूंकि प्रश्नगत भूमि पल्लूराम के नाम से दर्ज है अपीलाण्ट पल्लूराम के वारिसान हैं इसलिए वह आवश्यक पक्षकार हैं उन्हें दावा में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पातिर किया गया है।** अतः अपील आंशिक अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी) आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 13:16:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: